

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र की शाहवाजपुर, रमैया, खवासपुर सहित 31 पंचायतों, 01 नगर परिषद के वार्ड नंबर 1,2,3 एवं 17 तथा नगर पंचायत के अमौना, मीरगंज एवं अन्य क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ एवं सुखाड की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है जिसके कारण जन-धन एवं फसलों की व्यापक क्षति तथा सुखाड के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, यदि हां, तो सरकार फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष मास्टर प्लान बनाकर बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी, सिंचाई एवं जल संरक्षण योजनाओं की शीघ्र स्वीकृति देकर कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिला के फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मुख्यतः परमान नदी प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त दो अदद छोटी धार (कजरा धार एवं सीता धार) भी फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र होकर गुजरती है। परमान नदी के तल की गहराई एन०एस०एल० से औसतन तीन मीटर है। बाढ़ अवधि के दौरान अत्यधिक वर्षापात की स्थिति में नदी का पानी अल्प अवधि के लिए एन०एस०एल० पर फैलता है। जलस्तर में कमी होने पर पानी स्वतः नदी में वापस चला जाता है। परमान नदी के बाढ़ से बचाव हेतु तटबंध निर्माण कार्य का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसमें तटबंध निर्माण हेतु लगभग 2020.90 एकड़ भूमि अधिग्रहण का प्रावधान है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित तटबंध एवं नदी के बीच के आवासितों को पुनर्वासित किये जाने की भी आवश्यकता है। योजना प्रतिवेदन में पुनर्वास का प्रावधान कर इसके कुल लागत राशि के सापेक्ष लाभ-लागत अनुपात के आधार पर योजना के कार्यान्वयन पर विचार किया जा सकेगा। फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र से होकर प्रवाहित होने वाली कजरा धार एवं सीता धार से इस क्षेत्र से वर्षा के जल की निकासी हो जाती है। वर्तमान में जल-जमाव की स्थायी समस्या नहीं है। अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पूर्णियाँ शाखा नहर, अररिया शाखा नहर, महिषाकोल वितरणी एवं भंगहा वितरणी आदि नहरों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। उक्त नहरों से सुचारु रूप से जलश्राव प्रवाहित किये जाने हेतु विभिन्न योजना अन्तर्गत कुछ नहरों का पुनर्स्थापन कार्य कराया गया है तथा कुछ नहरों का पुनर्स्थापन/जीर्णोद्धार कार्य कराने निमित्त प्रशासनिक की स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अलावे फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वंचित क्षेत्र में कोसी-मेची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना के अन्तर्गत फेज-2 के तहत कार्य कराये जाने के उपरान्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जा सकेगा। उक्त कार्य हेतु डी०पी०आर० तैयार किया जा रहा है। डी०पी०आर० समर्पित होने के पश्चात् कार्य की कार्यान्वयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0 (क0)-05-185/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/3/56 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0 (क0)-05-185/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0 (क0)-05-185/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0 (क0)-05-185/2026-

पटना, दिनांक- 07/09/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3959
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
03/09/26